इकाई 2
हस्तकला का पुनरुत्थान

4 हथकरघा एवं हस्तशिल्प का पुनरुद्धार

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नवनिर्वाचित सरकार ने औद्योगिकीकरण का रास्ता चुना और गांधी जी की शिक्षाओं एवं उनकी स्व-निर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था की संकल्पना की अनदेखी की। उद्योग और विकास पर बल देने से 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के दौरान शिल्प समुदाय को हुई क्षति और बढ़ गई। तथापि, गांधी जी की मृत्यु के पश्चात् उनके कई अनुयायियों ने भारत में शिल्प समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु कई सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम आरंभ किए और उनका संपोषण किया।

केंद्र और राज्य सरकारों ने यह माना कि हस्तशिल्प गहन मज़दूरी पर आधारित और देश के कोने-कोने में फैला होने के कारण अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप है। यदि इसे समर्थन दिया जाए तो यह व्यापार और निर्यात द्वारा देश में धनसंपदा लाएगा। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य देश के शिल्पकारों को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उपलब्ध कराना और उनके कार्य को घरेलू और विदेशी बाज़ार में बढ़ावा देना था। सरकार द्वारा चलाए गए हस्तशिल्प विकास कार्यक्रमों के चार मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे –

1. हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देना
2. अनुसंधान एवं परिकल्पना (डिज़ाइन) का विकास करना
3. तकनीकी विकास
4. विपणन

1. हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देना

1950 और 60 के दशकों में, भारतीय शिल्प उत्पादकों को प्रोत्साहन और सुरक्षा देने हेतु प्रत्येक राज्य में खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), सेंट्रल कॉटेज़ इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम, हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम, क्षेत्रीय राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, बुनकर सेवा केंद्रों और डिज़ाइन केंद्रों व बुनकर कोपरेटिव एपेक्स सोसाइटियों की स्थापना की गई।

आज, यहाँ पर 1,5431 बिक्री केंद्र हैं, जिनमें से 7,050 के.वी.आई.सी. के हैं। ये संपूर्ण भारत में फैले हैं। उत्पादों को आयोग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेचा जाता है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

हस्तशिल्प की समस्याओं पर सरकार को सलाह देने और उनके संवर्धन एवं विकास के लिए सुझाव देने हेतु 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के अनुसार हस्तशिल्प का विकास राज्य का विषय है। इसलिए हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रथम कदम राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को उठाना था।

बोर्ड ने बहुत-सी नयी योजनाएँ बनाईं, जिनसे कि चुनिंदा हस्तशिल्प एवं परिकल्पना (डिज़ाइन) का विकास, डिज़ाइन बनाने की कोशिश, उनके बीच समन्वय बनाना, साथ ही हस्तशिल्पकार के औज़ारों और प्रक्रियाओं में सुधार, सुविधाओं का विस्तार और आंतरिक एवं बाह्य दोनों बाज़ारों में विपणन नेटवर्क का विस्तार करने हेतु योजनाएँ आरंभ की गईं।

कमलादेवी चट्टोपाध्याय

कमलादेवी चट्टोपाध्याय (1903–1988) हस्तशिल्प के संरक्षण और विकास हेतु तथा भारतीय शिल्पकारों के उत्थान एवं उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जीवन भर समर्पित रहीं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, रंगमंच अभिनेत्री और मानव अधिकार कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ कार्य किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में वे कांग्रेस और उसके पश्चात् समाजवादी पार्टी में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थीं।

वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और भारतीय सहकारी संघ की अध्यक्षा थीं। वे विश्व शिल्प परिषद् की उपाध्यक्ष भी थीं। उन्होंने प्रत्येक मंच पर भारत की महान शिल्प परंपराओं के मुद्दे को उठाया और उन्होंने ही हस्तशिल्प में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ कराए। उन्होंने भारत के कोने-कोने और गाँवों की यात्रा की और देखा कि अनदेखी और संरक्षण की कमी के कारण शिल्प नष्ट हो रहे हैं, तथा शिल्प को विलुप्त होने से बचाने हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें मैगसेसे पुरस्कार एवं वातामुल्ल पुरस्कार मिले और विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन द्वारा उन्हें देशी कोट्म्मा की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने कई पुस्तकें और लेख लिखे एवं उनकी प्रथम पुस्तक *दि हैंडीक्राफ़्ट्स ऑफ़ इंडिया* में भारत के प्रमुख और गौण शिल्पों की विस्तृत जानकारी है।

यदि वे इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं होतीं तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विलुप्त होने वाले कई शिल्प हमेशा के लिए समाप्त हो जाते और भारत की शिल्प विरासत ही खत्म हो जाती। वे वास्तव में स्वतंत्र भारत के शिल्पकारों की जननी हैं।

केंद्रीय निगम

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच.एच.ई.सी.) भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कंपनी है, जो 1962 में अस्तित्व में आई। प्रत्यक्ष निर्यात के क्षेत्र में निगम की नीति नए बाज़ार विकसित करने और पारंपरिक बाज़ारों को बढ़ाने एवं विदेशी उपभोक्ताओं की माँगों के उपयुक्त नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए तैयार की गई थी।

सेंट्रल कॉटेज़ इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन प्रा. लि. एक पंजीकृत सोसाइटी है, जो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम (सी.सी.आई.ई.), नई दिल्ली चलाती है। यह भारतीय हस्तशिल्प का प्रमुख खुदरा बिक्री संगठन है। इस एम्पोरियम की शाखाएँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और जयपुर में भी हैं।

स्वैच्छिक सामाजिक संगठन

सरकार कई सामाजिक संगठनों को समर्थन देती है, जिसमें वे पंजीकृत संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाली सहकारिताएँ भी शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गरीब कारीगारों को कार्य उपलब्ध कराना है। इसमें से कई प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केंद्र चलाते हैं, जबकि कुछ विशेषतया विपणन से संबंधित हैं। इसके

अतिरिक्त भारत में एक बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसे शिल्प परिषद् (क्राफ़्ट्स काउंसिल) कहा जाता है। इसकी कई राज्यों में शाखाएँ भी हैं और यह विश्व शिल्प परिषद् से मान्यता प्राप्त है।

पुपुल जयकर

पुपुल जयकर (1916-97) ने जीवन के प्रारंभ में पत्रकार बनने के लिए अध्ययन किया, लेकिन बाद में वे हस्तशिल्प और हथकरघा वस्त्रों में विकास कार्यों के क्षेत्र में कार्यरत हुईं। वे अखिल भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा बोर्ड एवं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फ़ॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इनटैक) की अध्यक्ष थीं। उन्होंने देश-विदेश की यात्राएँ करके, सारे देश में क्राफ़्ट्स फ़ेस्टीवल आयोजित करके एवं एम्पोरियम खुलवाकर तथा अपने विद्वत्तापूर्ण लेखों के माध्यम से शिल्पकारी और उनकी परंपराओं का समर्थन किया।

2. अनुसंधान एवं डिज़ाइन विकास

डिज़ाइन विकास की किसी भी योजना हेतु प्रामाणिक संसाधनों और सामग्री की पहचान करना आवश्यक है। भारत में कई संग्रहालय हैं, जहाँ शिल्प वस्तुओं के सुंदर नमूने हैं।

ये संग्रहालय विभिन्न क्षेत्रों में विकसित शिल्प इतिहास के अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के अध्ययन और अनुसंधान हेतु सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराते हैं। शिल्प अध्ययन हमें भारत में शिल्प परंपरा का नवाचारी भाव, यह कैसे परिवर्तित और विकसित हुआ और इसने वातावरणीय दशाओं और ऐतिहासिक बाधाओं द्वारा आई नयी चुनौतियों का सामना कैसे किया इत्यादि के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराता है।

डिज़ाइन को प्रोत्साहन देना

1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना होने के पश्चात् शीघ्र ही कुछ और भी विकास के तरीके अपनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें विकास के लिए अपनाए जाने वाले अन्य पहलुओं में डिज़ाइन के विकास को हस्तशिल्प के पुन: स्थापन का एक अहम मुद्दा माना गया। भारत एवं विदेशों के उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार नए विचारों के डिज़ाइनों को बनाने के लिए शिल्पकार को सहायता की आवश्यकता थी। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने बेंगलुरू, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए। प्रत्येक केंद्र में उपकरणों, तकनीकों और सामग्रियों

में शोध हेतु तकनीकी शाखा भी स्थापित की गई। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए बुनकर सेवा केंद्रों ने देशभर में हथकरघा उद्योग को डिज़ाइन तथा तकनीकी निर्देशन उपलब्ध कराया।

3. तकनीकी विकास

हस्तशिल्प में उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास एक संवेदनशील विषय है क्योंकि अधिकतर पारंपरिक विधियों और उपकरणों के संचालन में अत्यधिक बुद्धिमत्ता और चतुराई की आवश्यकता होती है। सामान्यत: कहें तो हस्तशिल्प हेतु किसी भी नए उपकरण में निम्न बातें होनी चाहिए –

- उसका पूँजीगत परिव्यय कम हो।
- वहनीय हो, छोटे एवं व्यक्तिगत तथा सहकारिता इकाइयों के लिए उपयोगी हो।
- संपूर्ण कार्य क्षमता में सुधार करे।
- लागत को कम करे।
- मज़दूर विस्थापन का कारण न हो।
- मानव या वातावरण के लिए हानिकारक न हो।

राज्य सरकारों ने डिज़ाइन एवं तकनीकी केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ शिल्पकार एवं डिज़ाइनर चुनिंदा शिल्पों में नए डिज़ाइनों एवं वस्तुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ऐसे डिज़ाइनर को नियुक्त करना महत्त्वपूर्ण है,

जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ रुचि हो, समय के अनुसार संवेदनशील जागरूकता और परंपरा हेतु सम्मान हो, जो कि अच्छे डिज़ाइन के विकास हेतु आवश्यक गुण हैं।

डिज़ाइन अध्ययन

चार्ल्स ईम्स, जिन्होंने शिल्प को समस्या-निवारण के संसाधन के रूप में देखा था, उनकी दूरदर्शी सलाह के परिणामस्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (एन.आई.डी.), अहमदाबाद की स्थापना की गई। ईम्स की सलाह थी कि भारतीय डिज़ानइर भारतीय शिल्प परंपराओं में उपलब्ध अभिवृत्ति, कौशल और ज्ञान के आधार पर चित्रण करें, जिससे स्वतंत्रता के बाद भारत के औद्योगिक युग में इसे नयी प्रासंगिकता प्राप्त हो। यह महत्त्वपूर्ण है कि कारखानों में बड़ी मात्रा में बनने वाली वस्तुओं के साथ-साथ हाथ से बनी वस्तुओं को भी स्थान मिले। सौ वर्षों से भी पहले ब्रिटिश विद्वानों द्वारा शिल्प परंपराओं का प्रलेखन किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की आवश्यकता थी और एन.आई.डी. के विद्यार्थियों को भारतीय शिल्प परंपराओं की जानकारी एकत्र करने और उनकी व्याख्या करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

अनुसंधान को सुग्राह्य डिज़ाइन, उत्पादन और विपणन सहित शिल्प समुदायों, इसकी पारंपरिक पद्धतियों, बाज़ारों एवं सामग्रियों, इनकी कीमत/लागत संबंधी उपकरण एवं कार्य करने के स्थानों के बारे में जानकारी का आधार बनाया गया।

विकास और विविधता लाने के इन प्रयासों में बुद्धिमानी से नए अवसरों को खोजने में शिल्पकारों और प्रशिक्षित डिज़ाइनरों को एक साथ लाने में एन.आई.डी. पाठ्यक्रम सफल हुआ। विद्यार्थी और अध्यापक पारंपरिक कौशलों को समझने के क्रम में शिल्प समस्याओं का अध्ययन करने के साथ-साथ बड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं, जिनके बहुत पुराने बाज़ार व्यापक और स्थिर परिवर्तनों से गुज़र रहे हैं। अतः नए ग्राहकों हेतु डिज़ाइन और समस्या निवारण कार्यकलापों को विपणन से जोड़ा गया।

– एन.आई.डी. वेबसाइट - www.nid.edu

पैकिंग

भारतीय हस्तशिल्प के मामले में पैकेजिंग, एक ऐसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जो अधिक विकसित नहीं हुआ। पैकेज डिज़ाइन बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यह ग्राहक को आरंभ में क्रय करने हेतु प्रेरित करता है।

मुंबई स्थित भारतीय पैकेजिंग संस्थान की दिल्ली, चेन्नै, हैदराबाद और कोलकाता में भी शाखाएँ हैं, जो पैकेजिंग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और कुछ शुल्क पर पैकेज विकास सेवा प्रदान करती हैं। यहाँ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी हैं, जो एशियन पैकेजिंग फाउंडेशन (ए.पी.एफ़.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

कुछ कंपनियाँ, जो पैकेजिंग सामग्री और रेडीमेड पैकेज का निर्माण करती हैं, पैकेजिंग समस्याओं का निवारण करने में भी मदद देती हैं। आज पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों की भी खोज की जा रही है। इससे व्यापार उद्यमों हेतु नए अवसर मिलते हैं।

आज जिस भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। 2010 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.5 प्रतिशत रहा और केवल पैकेजिंग उद्योग ने 15 प्रतिशत वृद्धि की है। भारत में 65,000 करोड़ का पैकेजिंग उद्योग है, जिसमें 2015 तक 18 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। केवल कागज़ पैकेजिंग का भाग ही 7.6 मिलियन टन है। यहाँ तक कि कुल कागज़ उत्पादन का 40 प्रतिशत पैकेजिंग में जाता है। पैकेजिंग तकनीक विशेषज्ञ, रसायन और यांत्रिक इंजीनियरिंग के ज्ञान पर आधारित उत्पादन और संरक्षण के दृष्टिकोण से सही आकार और सही पैकेजिंग सामग्री का चयन करता है। डिज़ाइनर और कलाकार लुभावनी लगने वाली नयी और आकर्षक पैकेजिंग बनाते हैं, जो शेल्फ़ पर अलग दिखाई देती हैं और उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि करते हैं।

– द *टाइम्स ऑफ़ इंडिया*, 26 जुलाई 2010

4. विपणन

भारत में, हस्तशिल्प ने सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से समृद्धि एवं शक्ति प्राप्त की है। ये परंपराएँ एवं सामाजिक ताना-बाना तेज़ी से समाप्त होता जा रहा है। शिल्प, विशेषकर आर्थिक परिवर्तन की वर्तमान गति, समाज और विपणन के बदलते हुए तरीकों के प्रति संवेदनशील है। अतः इसके लिए विशिष्ट अभिवृत्तियों एवं उपायों की आवश्यकता है। इसके

लिए न केवल पर्याप्त वित्तीय आवश्यकता है, अपितु अच्छे काल्पनिक कौशल की भी ज़रूरत है। हस्तशिल्प विपणन एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए कुशल हाथों से बने उत्पादों को मशीन द्वारा बड़ी संख्या में बनाए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है और इन्हें बेचने के लिए ज़ोर देकर बेचने की कला आनी चाहिए। यही नहीं हस्तशिल्प इकाइयाँ अक्सर छोटी होती हैं और उत्पादों का व्यापक श्रेणी में उत्पादन करती हैं। हस्तशिल्प विपणन की समस्याओं पर घरेलू बाज़ार और निर्यात व्यापार के लिए अलग से विचार करना चाहिए।

ऑल इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड ने, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, केंद्र और राज्यों में कुटीर औद्योगिक उत्पादों के विपणन हेतु एम्पोरियम की स्थापना की सिफ़ारिश की। 1949 में दिल्ली में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम की स्थापना की गई और कई राज्यों में भी एम्पोरियमों की स्थापना की गई। आज देश में लगभग 250 एम्पोरियम हैं। इसके अतिरिक्त खादी भंडार के कई बिक्री केंद्र और अन्य शो रूम हैं, जहाँ हाथ से कताई किए गए और हाथ से बुने हुए कपड़े और हाथ से बनी वस्तुएँ बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

1980 में पुपुल जयकर ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और जापान में भारतीय अंतरराष्ट्रीय समारोहों की संकल्पना तैयार की। इन समारोहों में भारत की ऐतिहासिक विरासत और इसकी सतत् आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शक्ति को उजागर किया गया। विश्वकर्मा, अदिति, गोल्डन आई, पुडु पाव और कास्ट्यूम्स ऑफ़ इंडिया जैसी कई प्रदर्शनियों से नए युवा डिज़ाइनर आगे आए और ये भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों में परिवर्तन और उनके पुनरुद्धार हेतु उत्प्रेरक बने।

ये एम्पोरियम कारीगरों या उनकी सहकारिताओं से शिल्प वस्तुओं की सीधी खरीद करते हैं। एम्पोरियम ने कारीगरों हेतु उचित मज़दूरी और मूल्य निर्धारित करने और उन्हें प्रचार एवं उन्नयन सहित विपणन की आधुनिक तकनीकों की पूर्व जानकारी देने का प्रयास किया है। कुछ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक एम्पोरियमों ने बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की हैं। यह उल्लेखनीय है कि राज्य मुख्यालयों में अधिकांश सरकारी एम्पोरियम हस्तशिल्प के अन्तरराजकीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिल्पियों हेतु पुरस्कार एवं योजनाएँ

अतीत में शिल्पकारों को शाही परिवारों से पहचान मिलती थी और अक्सर यह संरक्षण उनके परिवारों को उत्तराधिकार में मिलता था। 1965 से शिल्पकारों को सम्मान देने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड असाधारण कौशल वाले उत्कृष्ट शिल्पकारों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को भारत के राष्ट्रपति द्वारा धातु फलक (मंजूषा), अंगवस्त्रम् और नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह शिल्पकार के जीवन का दुर्लभ एवं चिर-प्रतीक्षित पल होता है और वास्तव में जीवनभर याद रहने वाला अनुभव भी, जब वह इस विशिष्टता के लिए लोगों की प्रतिक्रिया देखता है।*

भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर (1972) हस्तशिल्प बोर्ड ने भी देशभर से चुने गए शिल्पकारों को उनकी असाधारण शिल्पकारी और कल्पनाशीलता हेतु विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए। अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिल्पकारों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु एक योजना भी आरंभ की गई। शिल्प समुदाय को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ओर यह पहला कदम है।

---

* राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची और संपर्क-पते अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अभ्यास

1. आपके मतानुसार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शिल्प विकास के लिए किस पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
2. निम्नवत् को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में लिखें और साथ ही व्याख्या करें कि प्रत्येक क्षेत्र का क्या कार्य होना चाहिए एवं शिल्प के विकास हेतु ये क्यों आवश्यक हैं–
   - **प्रचार** – प्रदर्शनियों का आयोजन और उनमें भागीदारी
   - **कल्याण संबंधी कार्यकलाप** – शिल्पकारों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना
   - **उत्पादन हेतु आम सुविधा केंद्र** – यंत्रों एवं उपकरणों की आपूर्ति, कच्चे माल के भंडार-गृह और प्राप्ति केंद्र
   - **विपणन** – राज्य हस्तशिल्प विकास और विपणन निगमों हेतु वित्तीय सहायता और एम्पोरियमों एवं बिक्री डिपो की स्थापना करना
   - **शोध केंद्र** – सशक्त डिज़ाइन और पारंपरिक कौशल के संरक्षण हेतु शोध केंद्र स्थापित करना
   - **प्रशिक्षण योजनाएँ** – राज्य या संघ शासित राज्यों में और इनके बाहर शिल्प, डिज़ाइन एवं विपणन में प्रशिक्षण को शामिल करना
   - शिल्पकारों हेतु **पुरस्कार** एवं प्रोत्साहन
   - **सहकारिताएँ** – सहकारी समितियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता
   - निर्यात केंद्रित एवं ग्रामीण या जनजातीय शिल्पों का **सर्वेक्षण**
   - **शिल्प ग्रामों की स्थापना** – शिल्प परिसर
   - भारतीय हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने हेतु **संस्थाओं की स्थापना**।
3. अपने क्षेत्र के किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में शोध करके उसकी कहानी लिखें, जिसने शिल्प एवं अन्य कलाओं को प्रोत्साहित किया हो।
4. खादी/शिल्प की किसी दुकान का पता लगाकर उसकी समस्याओं एवं सफलताओं पर चर्चा करें।